TWENTY RUPEES TWENTY RUPEES

-1-

R-22-I-2015

IN THE COURT OF REVENUE BOARD, GWALIOR M.P.

JABALPUR CAMP

Revision No. __________/2014

02 DEC 2014

(i) Smt. Hameedun Nisa W/o Shri Moharral Ali aged about 59 years

(ii) Shri Ahmed Ali S/o Moharram Ali aged about 33 year

(iii) Shri Mo. Zafar Ali S/o Moharram Ali aged about 27 year

(iv) Shri Haider Ali S/o Moharram Ali aged about 22 year

All R/o 691, Nai Basti, Gohalpur, Jabalpur-482002

Applicants

VERSUS

(i) The State of M.P. through The Commissioner, Jabalpur

(ii) The Collector of Stamp, Jabalpur

(iii) The Sub. Registrar Zone No. 8 Vijay Nagar, Jabalpur

Non Applicants

02 DEC 2014

REVISION UNDER SECTION 50 OF M.P. LAND REVENUE CODE 1959

That, the applicants aggrieved by the order dated 04.10.2014 passed by the Additional Commissioner Jabalpur in the appeal No. 989/B-105/12-13 arising out Under Section 47(4) M.P. Stamp Act 1899 by the Collector of Stamps Jabalpur beg to prefer this revision on the following facts and ground.

1. That order dated 04.10.2014 passed by the Additional Commissioner Jabalpur in the appeal No.989/B-105/12-13 is without application of mind. The Appellate Authority/Additional Commissioner did not see the affidavits and Bills supporting the pucca construction after 15/02/12.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 22–एक/15 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-5-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 989/बी–105/12–13 में पारित आदेश दिनांक 4–10–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकों द्वारा खसरा नं. 190/14 सुभाष वार्ड जबलपुर की 2000 वर्गफुट भूमि कय कर बयनामा पंजीयन हेतु उप पंजीयक के समक्ष पेश किया । उप पंजीयक ने स्थल निरीक्षण हेतु प्रकरण नियत किया आवेदकों के निरंतर आग्रह के उपरांत स्थल निरीक्षण नहीं किया गया और दस्तावेज का पंजीयन नहीं किया गया जिला पंजीयक द्वारा आहूत करने पर आवेदकों दिनांक 22–8–12 को उपस्थित हुए एवं दिनांक 10–9–12 को अपना उत्तर प्रस्तुत	

R-22.5.15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किया । जिला पंजीयक ने उप पंजीयक को स्थल निरीक्षण के निर्देश दिये । उनके द्वारा स्थल निरीक्षण बिना किसी नाप के किया गया । स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति आवेदकों को उपलब्ध नहीं कराई गई । जिला पंजीयक/कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने प्रश्नाधीन भूखंड का बाजार मूल्य रूपये 20,81,500/- अवधारित करते हुए कमी मुद्रां शुल्क रूपये 53843/- की राशि जमा करने के आदेश दिनांक 31-5-13 को पारित किये । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो उन्होंने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक तर्क श्रवण किये गये उनके द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई है । 4/ आवेदकों के तर्कों के प्रकाश में अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि उप पंजीयक के प्रतिवेदन में प्रश्नाधीन भूखंड पर निर्माण होना बताया था किंतु निर्माण का प्रकार स्पष्ट न होने पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने पुनः स्थल निरीक्षण कराया गया । उन्होंने यह भी पाया गया है कि निर्माण के संबंध में बाद में निर्माण कराए जाने	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 22–एक/15 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के संबंध में आवेदक द्वारा नगर निगम का स्वीकृत नक्शा पेश नहीं किया, जिससे स्पष्ट हो सके कि यह निर्माण दस्तावेज प्रस्तुत दिनांक 15–2–12 के हैं । उक्त आधार पर अपर आयुक्त ने विचारण न्यायालय द्वारा पुनः मौका निरीक्षण प्रतिवेदन तथा निर्माण के वास्तविक प्रकार के आधार पर प्रश्नाधीन भूखंड का बाजार मूल्य अवधारित करना उचित माना है तथा विचारण न्यायालय की कार्यवाही को नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप मानते हुए उचित माना है तथा अपील को निरस्त किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है । उनका आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । सदस्य	